सख्या–पी–15 / 14–2–2018–800(12) / 2018

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 06 फरवरी 2018**

विषयः– एटा में अलीगढ़–कानपुर सेक्श्न राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के किमी0 186 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष / पौधे के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–2282 / एटा (एन0एच0 91) / 22374 / 2016, दिनांक 30 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एटा में अलीगढ़–कानपुर सेक्श्न राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के किमी0 186 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष / पौध के पातन की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
विशेष सचिव

संख्या–पी–15 (1) / 14–2–2018–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
3– जिलाधिकारी, एटा।
4– प्रभागीय वनाधिकारी / निदेशक, एटा।
5– परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी0आई0यू0 अलीगढ़।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

भाग–5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

एटा में अलीगढ़–कानपुर सेक्श्न राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–91 के किमी0 186 से 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 65.495 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष/पौधें के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

Proposalसंख्या–FP/UP/ROAD./**22374**/2017

राज्य सरकार की सिफारिशें–वन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–पी–15/14–2–2018–800(12)/2018, दिनांक के द्वारा 06-02-2018 प्रस्ताव पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त **भाग–ख** या **भाग–ग** या **भाग–घ** में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दि0· 06-02-2018

हस्ताक्षर

(ओम प्रकाश)

विशेष सचिव

वन एवं वन्य जीव विभाग

उत्तर प्रदेश शासन।